न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

A9/1

अनवान :– **विविध प्रकरण संख्या 364/2017**

1. श्रवण कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जगदीश चन्द्र पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. मनीराम पुत्र श्री जीवनराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. लीलाधर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. दौलतराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. भरतराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. मनफूल पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. कबीर पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. मोहन लाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. अमर सिंह पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. राजकुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. पृथ्वीराज पुत्र श्री जीवनराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. हरीराम पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. रामनारायण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चक 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. राधेश्याम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

6. राजेन्द्र पुत्र श्री कृष्णराम जाति जाट निवासी 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. मांगीलाल पुत्र श्री मदन लाल जाति जाट निवासी 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. रवि कुमार पुत्र बहादर जाति जाट निवासी 4 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. बाबत स्वीकृत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री मोहनलाल पुनिया अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2.	श्री अशोक कुमार अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 1ता 3 व 5 ता 7
3.	श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 4 व 8

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.12.2017

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि चक 4 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 25, कुल 25 बीघा रकबा खोदारी दर्ज है, प्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 के नाम चक 4 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 39 की 25 बीघा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है तथा प्रार्थीगण संख्या 9 ता 12 के नाम चक 4 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के 25 बीघा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण चक 4 जी छोटी से अपनी कृषि भूमि चक 4 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 38, 39, 40 में आने जाने के लिए गांव की आबादी से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 20, 21 के पश्चिमी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिमी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 में 16.50 गुणा 16.50 फुट पश्चिमी, दक्षिणी कोर्नर, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरी हिस्सा में बने रास्ता का उपयोग अर्सा दराज से करते आ रहे हैं और आज भी उक्त रास्ता चालू है।

चक 4 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 20, 21 के पश्चिमी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिमी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस में 1.50–1.50 (डेढ–डेढ) बिस्वा रास्ता पूर्व से ही स्वीकृत है इससे आगे मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा, मुरब्बा नलमबर 32 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 में 16.50 गुणा 16.50 फुट पश्चिमी, दक्षिणी कोर्नर, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरी हिस्सा में चालू रास्ता जिससे प्रार्थीगण अपनी अपनी कृषि भूमि में आते जाते हैं भूमि काश्त करते हैं, रास्ता स्वीकृत नहीं है। गत 50–60 वर्षों से रास्ता चालू है।

प्रार्थीगण के पिता व दादा स्वर्गीय जीवन राम के परिवार की उक्त सारी कृषि भूमि खातेदारी थी। घरेलू बंटवारा कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा अपनी अपनी कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज करवा कर काश्त कर रहे हैं और उसी समय से स्वर्गीय जीवन राम के जिन्दा रहते उक्त रास्ता पूरी कृषि भूमि में आने जाने के लिए छोड रखा था और आज भी उक्त रास्ता चालू है। मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 में 16.50

गुणा 16.50 फुट अप्रार्थी संख्या 4 ता 8 की सहमति से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग अर्सा दराज से करते आ रहे हैं।

प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा और कोई नजदीक व सुविधाजनक रास्ता नहीं है, उक्त रास्ता के अलावा किसी अन्य जगह से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आ जा नहीं सकते तथा ना ही अपनी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थीगण को कोई वैकेल्पिक रास्ता है। इसएिल उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण को अपनी अपनी कृषि भूमि में आने जाने में असुविधा ना हो प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए स्वर्गीय श्री जीवनराम जी के जीवित रहेते ही घरू बंटवारा में रास्ता छोडा गया था तथा कृषि भूमि बंटवारे में रास्ता छोड कर बंटवारा किया गया था फिर भी न्यायालय उचित समझे तो प्रार्थीगण रास्ते में आई कृषि भूमि का मुआवजा देने के लिए तैयार है।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का कहा लेकिन अप्रार्थीगण टालमटोल करते रहे। क्योंकि आज भी तथा भविष्य में कृषि जोत घटने के कारण व आपसी मेल मिलाप कम होने के कारण कभी भी चालू रास्ता बंद किया जा सकता है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बिना वजह वाद विवाद बढने की संभावना है। आखिर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2017 को रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण इंकार हो गये। यही प्रार्थना पेश करने का कारण प्रार्थीगण को प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण उक्त चालू रास्ता को बंद करने की फिराक में है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि को और कोई रास्ता ना होने के कारण तथा रास्ता अर्सा दराज से चालू रास्ता होने के कारण उक्त रास्ता स्वीकृत करना आवश्यक है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 38, 39 व 40 में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा, मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा में 1.5–1.5 (डेढ–डेढ) बिस्वा रास्ता, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 में 16.5 गुणा 16.5 फुट पश्चिमी, दक्षिणी कोर्नर, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरी हिस में चालू रास्ता 1.5–1.5 (डेढ–डेढ) बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.07.2017 को वकील अप्रार्थीगण 4 व 8 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहा। वकील प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की ओर से अनापत्ति जाहिर की गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण को इच्छित कृषि भूमि में चाहा गया रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अगर मुरब्बा नम्बर 32 व 33 में से माननीय न्यायालय से रास्ता स्वीकृत करवा लेते हैं तो उसकी एवज में प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। दिनांक 01.09.2017 को अप्रार्थी संख्या 4 व 8 के द्वारा सहमति प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 व 8 चक 4 जी छोटी श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 के मालिक है और किला नम्बर 21 में पश्चिम–दक्षिण कोर्नर 16.5 गुणा 16.5 फुट रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो अप्रार्थी संख्या 4 व 8 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 अप्रार्थी संख्या 4 के पुत्र व पोते हैं उनकी ओर से भी मैं सहमति देता हूं कि चक 4 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 के पश्चिम–दक्षिण कोना में 16.5 गुणा 16.5 फुट रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 25.09.2017 को वकील अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251(क) आर. टी.ए. पेश किया गया जिसके अनुसार श्रवण कुमार आदि प्रार्थीगण को इच्छित कृषि भूमि में से चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अगर मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 में 16.5 गुणा 16.5 फुट पश्चिमी

उपखण्ड अधिकारी

A8/4

(विविध प्रकरण संख्या :— 364 / 2017
अनवान श्रवण कुमार बनाम राजकुमार आदि)

दक्षिणी कोर्नर में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसकी ऐवज में प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं करना चाहते। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा नजदीक अन्य कोई स्वीकृत व सुविधाजनक रास्ता नहीं है। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व तथ्यों का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 4 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा में 1.5—1.5 (डेढ—डेढ) बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी हिस्सा में 1.5—1.5 (डेढ—डेढ) बिस्वा रास्ता, मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 में 16.5 गुणा 16.5 फुट पश्चिमी, दक्षिणी कोर्नेर, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरी हिस्सा में चालू रास्ता 1.5—1.5 (डेढ—डेढ) बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिंनाक 26.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर